न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 136 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/146)
पंजीयन दिनांक– 04.03.2021
निर्णय दिनांक– 17.11.2021

1. श्री ज्ञानमल पिता कालु नाई, निवासी ठुकराई, तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश पिता कन्हैयालाल नाई, निवासी ठुकराई, तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती प्यारी पिता कालु नाई, पत्नि मोहन सेन, निवासी नंदबाई, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती केशर पिता कालु नाई, पत्नि राधेश्याम सेन, निवासी ठुकराई, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत, ठुकराई, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री संजय सेन – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अशोक साहु – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर (उपखण्ड़ अधिकारी), बेगूं के
प्रकरण संख्या 04 / 2013 निर्णय दिनांक 08.10.2013

निर्णय

दिनांक 17.11.2021

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध सहायक कलक्टर (उपखण्ड़ अधिकारी), बेगूं के प्रकरण संख्या 04/2013 निर्णय दिनांक 08.10.2013 के विरूद्ध दिनांक 02.09.2016 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजूदा रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत, ठुकराई के नामांतरण संख्या 1901 के विरूद्ध एक अपील अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के विरूद्ध दिनांक 06.04.2011 को प्रस्तुत की कि मौजा ठुकराई के आराजी नम्बर 683, 1042, 1073, 1120 मी., 1292 से 1294, 1314 मी., 1637, 1711, 1712, 1718, 1867, 1873 एवं 1874 की आराजीयात पुश्तैनी होकर अपीलांट उसका उपयोग उपभोग कर रहा है, जिसके संबंध में राजस्व वाद विचारधीन है और वाद के लम्बित रहने के दौरान दिनांक 04.12.2010 को ग्राम पंचायत ठुकराई, पटवार मण्डल, ठुकराई ने पंजीकृत हकत्याग के आधार पर एक इंतकाल संख्या 1901 भरकर पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2012 को अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम पर निर्णित करते हुए मौजूदा रेस्पोडेंट संख्या 1 की अपील खारिज कर दी जिसकी अपील रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जहां से उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु पुनः

प्रतिप्रेषित किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर गहनतापूर्व अध्ययन न कर अपने प्ररकण संख्या 04/2013 निर्णय दिनांक 08.10.2013 से मौजूदा रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2013 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। मौजा ठुकराई, पटवार हल्का, ठुकराई के नामांतरकरण संख्या 1901 निर्णित दिनांक 04.12.2010 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत, ठुकराई खारिज किया जाता है। नामांतरकरण संख्या 1901 के खारिज किए जाने की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार, बेगूं, को भेजी जाती है।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक साहु उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.11.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ठुकराई द्वरा नामांतरण संख्या 1901 जो खोला गया वह रजिस्टर्ड/पंजीकृत हकत्याग के आधार पर खोला गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता थी। मौजूदा रेस्पोडेंट संख्या 1 व अपीलांट के मध्य जो वाद विचाराधीन बताया गया वह भी दिनांक

03.11.2004 को अबेट कर दिया गया इस बात पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया। मौजूदा रेस्पोडेंट संख्या 1 ने नामांतरण संख्या 1901 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जो रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर स्वीकृति की गयी है जो किसी भी पक्षकार द्वारा अपीलांट के हक में किये गये हकत्याग दिनांक 25.11.2010 को चुनौती नही दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य केवल बंटवाडे का वाद विचाराधीन था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मन मकसूद तरीके से आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 यदि पंजीकृत हकत्याग दिनांक 25.11.2010 से व्यथित था तो उसे उक्त हकत्याग को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी किन्तु उसने हकत्याग को चुनौती न दे केवल नामांतरण संख्या 1901 की अपील प्रस्तुत कर दी इस पर भी गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्त के है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित होने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड़ अधिकारी), बेगूं द्वारा दिनांक 08.10.2013 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा दिनांक 23.05.2017 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत हुई है जिसके लिए अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता द्वारा उन्हें सूचित नहीं किये जाने के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब होने एवं अंदर जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत किये जाने का आवेदन व अखण्डित शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायहित में मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में उभय पक्षों के लिखित व मौखिक अभिकथनों व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर गुणावगुण पर विवेचन के लिए हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा जो उजरात लिये गये हैं, उनके आधार पर उसने यह वर्णित किया है कि पक्षकारों के मध्य का वाद दिनांक 03.11.2004 को अबेट कर दिया गया था जिसकी सिर्फ अपील/निगरानी लम्बित थी। साथ ही नामान्तकरण की स्वीकृति रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर की गयी थी तथा हकत्याग को किसी पक्ष ने चुनौती नहीं दी, वाद सिर्फ बंटवारे का था तथा पंजीकृत दस्तावेज निरस्त किये बिना उसे राजस्व न्यायालय द्वारा अवैध करार दिया जाना उचित नहीं है।

हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वाद सिर्फ लीज पेंडिंस धारा 52 टी.पी. एक्ट का मानते हुए अपील स्वीकार कर नामान्तकरण खारिज कर दिया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि वाद मौलिक रूप से बंटवारे का है। पारिवारिक विवाद है तथा एक पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया था तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन भी नहीं था तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के लिए विभिन्न उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों के दृष्टिगत पक्षकारों को उभय पक्ष को यथास्थिति रखने के निर्देश के साथ अथवा विधि के प्रावधानों के तहत उभय पक्षों को सुनकर निर्णय करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद की विषय

वस्तु, पारिवारिक विवाद व पंजीकृत दस्तावेज की विद्यमानता एवं उसको चुनौती दिये बिना उक्त दस्तावेज को अवैध मान लेना प्रथमतया उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के प्रावधानों के सम्यक् व्याख्या के साथ नहीं किया गया है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित हों।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर